भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1202

(जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2025/6 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है)

निवेशकों की समस्याओं का समाधान

1202. श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः
श्री सतीश कुमार गौतमः
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
डॉ. विनोद कुमार बिंदः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आईईपीएफए और सेबी द्वारा 1 जून, 2025 को आयोजित कार्यक्रम "निवेश शिविर" में कुल कितने दावेदारों और हितधारकों ने भाग लिया;
(ख) दावों को प्रस्तुत करने और निवेशकों की समस्याओं के समाधान में लगे प्रशिक्षित अधिकारियों और समर्पित कियोस्क की भूमिका क्या है;
(ग) क्या सरकार ने भविष्य में निवेशकों की सहायता करने के लिए शैक्षणिक सामग्री अथवा डिजिटल उपकरण विकसित करने के लिए कोई योजना शुरू की है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) देश भर में निवेशकों की दुर्गम निधि की राशि को कम करने में उक्त योजना का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): 1 जून, 2025 को आयोजित "निवेशक शिविर" कार्यक्रम में लगभग 450 प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया। आईईपीएफए-प्रशिक्षित कर्मियों ने पंजीकरण, आईईपीएफ-5 प्ररूप भरने और खोज सुविधा के उपयोग सहित संपूर्ण प्रक्रिया को सुगम बनाया। सेबी, डिपॉजिटरी (एनएसडीएल और सीडीएसएल), स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई और बीएसई) और 88 सहभागी कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा अपने आरटीए के माध्यम से प्रबंधित समर्पित कियोस्क ने एक-स्टॉप समाधान प्लेटफॉर्म बनाया। इसके अतिरिक्त, प्रतिभागियों को तत्काल सहायता और व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया।

(ग) और (घ): आईईपीएफए समय-समय पर निवेशकों के लिए शैक्षिक सामग्री का विकास और संवर्धन करता रहता है। शैक्षिक सामग्री विभिन्न निवेशक जागरूकता शिविरों और कार्यशालाओं के साथ-साथ सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रसारित की जाती है। इन संसाधनों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सभी निवेशकों के लिए सामयिक, प्रासंगिक और सुलभ रहें।

(ङ): निवेशकों, कंपनियों और रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) के बीच सीधे संपर्क को सुगम बनाकर, यह पहल केवाईसी, नामांकन और डीमैटेरियलाइजेशन से संबंधित मुद्दों का समय पर समाधान संभव बनाती है। तत्काल सहायता से निवेशकों को कंपनियों और आईईपीएफए से शेयर और लाभांश वापस पाने में मदद मिलती है।

******